

	मासम			
<i>तापमान</i>	गाजियाबाद	कानपुर	वाराणसी	झांसी
अधिकतम	33.0	34.0	36.0	32.0
न्यूनतम	26.0	27.0	28.0	25.0

## खबर कोना

**युवक ने कनपटी में गोली मारकर की आत्महत्या**

सहारनपुर, 28 जुलाई (जनसत्ता)।

नानोता थाने के टसका गांव में 24 वर्षीय युवक सचिन सेनी पुत्र कन्हैया सेनी ने तमंचे से अपनी कनपटी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। थानाध्यक्ष चंद्रसेन सेनी ने आज बताया कि मृतक के भाई पवन सेनी ने बताया कि सचिन पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में था और उसका इलाज भी चल रहा था। संभवतः तनाव के चलते उसके भाई ने यह कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक सचिन सेनी अपने घेर के पास गली में एक बचतुर पर गया जहां उसने गोली मारकर खुदकशी कर ली।सचिन को पहले नानोता सीएचसी ले जाया गया। जहां से जिला अस्पताल के लिए रैफर कर दिया। जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

## घरेलू विवाद में वृद्ध दंपति ने जहर खाकर खुदकुशी की

सहारनपुर, 28 जुलाई (जनसत्ता)।

नगर के मंडी कोतवाली के माता गढ़ मोहल्ला निवासी 63 वर्षीय सेवानिवृत्त न्यायकर्मी पवन वर्मा और 60 वर्षीय पत्नी पद्मावती ने बीती रात विषेला पदार्थ खा लिया। दोनों की हालत बिगड़ने की जानकारी उनके साथ रह रहे छोटे बेटे हार्दिक वर्मा को लगी तो माता-पिता ने उसे बताया कि उन्होंने जहर खा लिया है। बेटा और अन्य परिजन दोनों को नगर के निजी अस्पताल में लेकर गए। जहां दर रात उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। एस्पपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस मामले की जांच में लगी है। शुक्रआती रात में पता चल कि परिवार में कुछ दिनों से तनाव और व्लेश चल रहा था। जिसके चलते दंपति ने विषेले पदार्थ का सेवन कर जान दे दी। पवन वर्मा मुजफ्फरनगर न्यायालय से दो वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त के बाद यहां सहारनपुर अपने छोटे बेटे के पास आकर रहने लगा था और बेटे के सरफिके की दुकान पर बैठता था।

## गंगाघाट अध्यक्ष के पति को पुलिस ने बलात्कार मामले में किया गिरफ्तार

उन्नाव, 28 जुलाई (जनसत्ता)।

नगरपालिका गंगाघाट अध्यक्ष के पति को महाराष्ट्र पुलिस ने बलात्कार मामले में गिरफ्तार कर गंगाघाट थाने पहुंची। क्षेत्राधिकारी आशुतोष ने बताया कि महाराष्ट्र प्रांत के टाणे जनपद के नयानगर निवासी मीरा भईदर में गंगाघाट के अध्यक्ष कामुदी पांडे के पति संदीप निवासी डाकतार कालोनी शुक्लागंज के विरुद्ध महाराष्ट्र की युवती द्वारा बलात्कार मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उक्त थाने के उपनिरीक्षक गोविंद करोड़ीवाल संदीप की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम के साथ थाना शुक्लागंज पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर महाराष्ट्र रवाना हो गए।

## स्वास्थ्य कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला

बहराइच 28 जुलाई (जनसत्ता) ।

जनपद बहराइच में मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान झूलसे एक वृद्ध की मौत हो गई। इस पर स्वास्थ्य कर्मियों ने शव के पोस्टमार्टम के लिए तैयारी शुरू कर दी। इससे गुस्साए परिवार के लोगों ने ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट की। धारदार हथियार से भी हमला किया। साथ ही कागजात फाड़ डाले। स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएमएस और कोतवाली नगर में पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पयागपुर थाना क्षेत्र के कांधीकुइयां गांव निवासी सहजराम (80) बीते दिन घर में गैस सिलेंडर से जल गए थे। इस पर परिवार के लोग उन्हें सीएचसी ले गए। यहां हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। कोतवाली नगर और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को दिए गए पत्र में स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि रात में 9.39 बजे वृद्ध के मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर इलाज चिकित्सक राहुल अग्रवाल ने की। हालत गंभीर होने पर वृद्ध को लखनऊ रेफर कर दिया। इसके बाद भी परिवार के लोगों ने पत्र लिखकर जिला मुख्यालय पर ही इलाज करवाने की बात कही।

# उमर अंसारी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

उच्चतम न्यायालय ने नफरती भाषण के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। यह मामला उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2022 के चुनाव के दौरान का है।

उमर अंसारी के साथ उनके विधायक भाई अब्बास अंसारी भी इस मामले में आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे हैं। उन पर मऊ जिले में एक रैली में मंच साझा करने का आरोप है। जहां उनके भाई ने कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों को परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। न्यायमूर्ति हृषिकेश राय और

## युवक की हत्या में छह को आजीवन कारावास

हापड़, 28 जुलाई (जनसत्ता)।

करीब 11 साल बाद गोली मारकर युवक की हत्या के मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम न्यायालय ने छह हत्यारोपितों को दोषी करार दिया है। सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि गांव बिगास के परमानंद यादव ने 17 मार्च 2012 को थाना बाबूगढ़ में

## बाइक सवार तीन युवकों की मौत

बरती, 28 जुलाई (भाषा) ।

बरती जिले के गौर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि तीनों युवक गुरुवार देर रात खोड़ारे जा रहे थे, तभी गौर वाल्टरगंज मार्ग पर स्थित समय माता स्थल के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और सड़क किनारे स्थित धान के खेत में गिर गई। अधिकारी के मुताबिक, हादसे में बाइक सवार तीनों युवकों के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान गोंडा जिले के खोड़ारे थाना क्षेत्र के रसूलपुर खान निवासी मूलचंद्र (26) और शत्रुघ्न (28) व उन्नाव जिले के सलापुर के रहने वाले आनंद (26) के रूप में हुई है। गौर थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) राज कुमार पांडेय ने बताया कि तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

# ‘उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण में हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं’

बरेली, 28 जुलाई (जनसत्ता)।

जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन में करार (एमओयू) करने वाले उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए हैं।

भू-उपयोग परिवर्तन, मानचित्र स्वीकृत करने तथा अग्निशमन आदि विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में बरती जा रही लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी तरह की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन की मंशा के अनुरूप 2023 में निर्धारित समय सीमा में इन उद्योगों को धरातल पर उतारने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारी उद्यमियों से संपर्क कर उनकी

## बरेली : युवक की गोली मारकर हत्या

बरेली, 28 जुलाई (जनसत्ता)।

थाना बारादरी क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नगर पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बताया कि शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने परिजनों और घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ कर हत्या की वजह पता लगाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। थाना बारादरी क्षेत्र के नाग पंचमी मेला मैदान में लोगों ने शुक्रवार को सुबह एक शव देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने के बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

<div><span><b>P</b></span></div> <div>POONAWALLA HOUSING FINANCE</div> <div>Alpha Ghar, Agni Pehchan</div>										
<b>पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड</b> <div>(पूर्व का मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)<div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div><div><small>पंजीकृत कार्यालय<span> </span>: 602, डीए नगर, जेरो ब्रदर आईटी पार्क, क्रम सं. 29 / 1, चौपड़ो, मुंबई 400 078, फ़ोन- 4110386 शाखा कार्यालय इकाई: प्रथम तल, सत्य बिजनेस पार्क, 1 नवल कितोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001</small></div></div>										
<b>ई-नीलामी बिक्री सूचना</b> , <b>सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूत अचल परिसम्पत्ति की बिक्री</b> <div>एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से श्रेष्ठाधारकों/गारंट्टरों को सूचित किया जाता है कि मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. अब निगम के प्रमाणपत्र के माध्यम से पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लि. के साथ निरवी नीचे वर्णित सम्पत्ति विनस्का सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4)/धारा 14 के अंतर्गत पीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया था, जो लागू व्याज, चार्जज तथा खर्चें आदि के साथ पीएचएफएल के बकाये को चरसूली के लिये नीचे वर्णित शर्तों के अनुसार ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी। सम्पत्ति को बिक्री प्रतिभूत हित (प्रदर्शन) निगम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत 'जैसा है जहाँ है, जो भी वहां है तथा आर्य-रहित आधार' पर होगी। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए पीएचएफएल/प्रतिभूत लेनदार को वेबसाइट अर्थात् <a href="http://www.poonawallahousing.com">www.poonawallahousing.com</a> देखें।</div>										
प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम (A)	गोंग सूचना की तिथि तथा बकाया राशि (B)	कबजे की प्रकृति (C)	सम्पत्ति का विवरण (D)	आरक्षित मूल्य (E)	ईंग्रुपडी (आरोपी का 10%) (F)	ईंग्रुपी ग्ग करके की तिथि (G)	संबिदा वृद्धि (H)	गम्पती के पिकिशन की तिथि एवं समय (I)	नीलामी की तिथि एवं समय (J)	जब तक भार.कोर्ट के मामले, यदि कोई हो. (K)
ग्रहण सं. HL/0043/H/15 /100122 सन्दीप कुमार मोर्व (कर्जदार) पारुस मोर्व (सह-कर्जदार)	गोंग सूचना की तिथि <span> </span> : 13/03/2020 रुपये 5,15,140/- (रुपये पाँच लाख पंद्रह हजार एक सौ चालीस मात्र) 11/03/2020 तक देय तथा बरसूनी तक 15.55 वार्षिक दर से बका	भौतिक	बंधक सम्पत्ति निगम मकान सं. 456/042, खसरा नंबर 327 से 330, 455 से 458, 460 से 462, 465 से 471 और 474 पर निर्मित, दौलतगंज वार्ड दौलतगंज, लखनऊ में स्थित का समस्त भाग।	₹. 31,90,250/- (रुपये इकतीस लाख नब्बे हजार दो सौ पचास मात्र)	₹. 3,19,025, /- (रुपये तीन लाख उनसी हजार पचीस मात्र)	31/08/2023 को 5 बजे अप. से पूर्व	10,000/-	24/08/2023 (11 बजे पूर्वा. से 4 बजे अप.)	31/08/2023 (11 बजे पूर्वा. से 2 बजे अप.)	निल
"बिक्री/खरीद की भावी पूछताछ या किसी सहवाता के लिए कृपया श्री शादाब अख्तर से सोंबावल नं.- 991 9910453434 पर सम्पर्क करें।"										
इच्छुक बोलीदाताओं से आग्रह है कि शाखा में जाकर नीलामी की संपत्ति निरीक्षण करें तथा प्रभारों, अधिभारों की जानकारी प्राप्त करें। क्रेता अपने स्वयं की पूछताछ करें तथा अतिरिक्त प्रभारों, अधिभारों तथा सभी बंधियों पर किसी भी तृतीय पार्टी के हितों को जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। सभी सांघिक बकाए जैसे संपत्ति कर, बिजली बकाये तथा संपत्ति से जुड़ी अन्य बकाए, यदि कोई हो, का भुगतान सफल बोलीदाता/संभावित क्रेता को ही करना होगा। उनके स्वयं के हित में बोलीदाता/संभावित क्रेताओं से अनुरोध है कि अपनी बोली जमा करने से पूर्व उपरोक्त के संदर्भ में तथा संपत्ति से संबंधित अन्य विवरणों के विषय अपने स्वयं के हित में जांच करके संतुष्ट हो लें।										
इच्छुक बोलीदाताओं को अभिय में पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा तथा लायिन आईडी तथा पारवर्ड प्राप्त करना होगा जिसे नीलामी सेवा प्रदाता श्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पता <span> </span> : प्लॉट नं. 68, तीसरी मंजिल, गुरुग्राम, हरियाणा-122003, हेल्पलाइन नम्बर <span> </span> : 7291981124, 25, 26, सर्पेट ई-मेल आईडी <span> </span> : <a href="mailto:Support@bankcautions.com">Support@bankcautions.com</a> सम्पर्क व्यक्ति <span> </span> : विनोद चौहान, ई-मेल आईडी <span> </span> : <a href="mailto:delhi@clindia.com">delhi@clindia.com</a> , सम्पर्क नं. 9813887931 से अनिवार्य है। कृपया ध्यान रहे कि संभावित बोलीदाता केवल उन्ही से ही ई-नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को 30.08.2023 को या इससे पूर्व "पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लि.", बैंक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खाता नं. 000651000460 तथा आईएफएससी कोड: ICIC0000006, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001 को खाता में एनईएफटी/आरटीओएस द्वारा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) की राशि जमा करना होगा तथा <a href="https://www.bankcautions.com">https://www.bankcautions.com</a> पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा सेवा प्रदाता से निष्पृक्त यूजर आईडी एवं पारवर्ड प्राप्त करना होगा तथा ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को अप्रोलिखित दस्तावेजों प्रतियों को अपलोड, ईमेल करना होगा तथा स्वयंभाषित हार्ड कॉपी पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लि. के अधिकृत प्राधिकारी के पास भेजना होगा; श्री प्रवीण अहमद, पता- शाखा कार्यालय इकाई <span> </span> : प्रथम तल, सत्य बिजनेस पार्क, 1 नवल कितोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001, मोबाइल नं. 9818408784993, ई-मेल आईडी <span> </span> : <a href="mailto:sharif.ahmad@poonawallahousing.com">sharif.ahmad@poonawallahousing.com</a>										
स्थान: लखनऊ उ.प्र. तिथि: 29.07.2023										
प्राधिकृत अधिकारी, पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)										